राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...

रायपुर एवं दुर्ग से प्रकाशित

समय दर्शन

ESTD : Since 2011

संस्थापक : स्व. श्रीमती निलिमा खड़तकर

निष्पक्ष निर्भीक ख़बरों के साथ

वर्ष 14, अंक 286 | पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रुपये | दुर्ग, शुक्रवार 22 अगस्त 2025 | www.samaydarshan.in

जनता को मिलेगी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा की सौगात

मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर कैंसर अस्पताल का होगा उन्नयन

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर कैंसर अस्पताल का होगा उन्नयन, जनता को मिलेगी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा की सौगात

विस्तार के लिए लगभग रु. 39.36 करोड़ की पुनरीक्षित राशि स्वीकृत

रायपुर(समय दर्शन)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएँ नई ऊंचाइयों की तरफअग्रसर हैं। इसी क्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित कैंसर अस्पताल की जी प्लस टू (ग्राउंड फ्लोर प्लस दो मंजिल) बिल्डिंग का विस्तार होकर जी प्लस सिक्स (ग्राउंड फ्लोर प्लस छः मंजिल) में उन्नयन होने जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि इन परियोजना के लिए लगभग 39.36 करोड़ रूपए की पुनरीक्षित राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कार्य को जल्द गति दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार यह बिल्डिंग सिर्फ किसी भवन या निर्माण कार्य का विस्तार नहीं बल्कि प्रदेश की जनता के लिए उम्मीद की नई किरण है। कैंसर अस्पताल के जी प्लस सिक्स के विस्तार के साथ राज्य की जनता को भी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि यह कदम छत्तीसगढ़ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को नई पहचान दिलाने की दिशा में अग्रसर होगा।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जापान एवं दक्षिण कोरिया के दौरे पर

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, भारत सरकार के आमंत्रण पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान और दक्षिण कोरिया के आधिकारिक दौरे पर रवाना हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेश मानचित्र पर स्थापित करना है। टोक्यो (22-24 अगस्त) में प्रतिनिधिमंडल जापानी उद्योगपतियों, व्यापार संघों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर कनेक्ट सेशंस एवं व्यावसायिक बैठकों में भाग लेगा। इसके बाद ओसाका (25ङ्क26 अगस्त) में मुख्यमंत्री श्री साय वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ में निवेश अवसरों पर विभिन्न हितधारकों से चर्चा करेंगे। दौरे का अंतिम चरण सियोल (27ङ्क29 अगस्त) में होगा, जहाँ निवेशक गोलमेज बैठकों, कोरिया की शीर्ष कंपनियों और व्यापार संघों से मुलाकात तथा सेक्टर-विशेष संवाद आयोजित किए जाएंगे।

लोकसभा चुनाव के नतीजों में हेरफेर किया गया-राहुल गांधी

शेखपुरा (एजेंसी)। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के पांचवे दिन राहुल गांधी ने मुंगेर में बारिश के बीच भाषण दिया। उन्होंने कहा- कुछ सालों से चुनाव हो रहे हैं। पब्लिक का मूड एक होता, लेकिन नतीजा दूसरा निकलता है। सबको लगता था कि चुनाव में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, 'वोट चोरी' संविधान पर हमला है। देश के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि संविधान उनकी रक्षा करता है। यह आपकी आवाज है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी और अडाणी मिलकर दबा रहे हैं। संविधान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ताकत संविधान को छू नहीं पाएगी।'

राहुल गांधी ने यह दावा किया- मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों में हेरफेर किया गया था। महाराष्ट्र में पहली बार सबूत मिला कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं किया, केवल विधानसभा में किया। ये सारे वोट बीजेपी के गठबंधन में गए। हमारा वोट कम नहीं हुआ लेकिन जहां ये वोट बड़ा वहां बीजेपी की जीत हुई। मुंबई के एक विधानसभा में दूध का दूध पानी का पानी हो गया।

राहुल गांधी ने कहा- बिहार में भी ऐसा ही करने की तैयारी है। पिछली बार भी हमारे गठबंधन की हार के पीछे भी चुनाव चोरी का ही मामला होगा। हर प्रदेश में पीएम मोदी, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं।

पूरी तरह स्वतंत्र होना असंभव, एक-दूसरे पर निर्भर रहना ही होगा

सुप्रीम कोर्ट ने की शादी पर टिप्पणी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विवाह के रिश्ते में पति या पत्नी यह नहीं कह सकते कि वे पूरी तरह स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी का मतलब ही दो आत्माओं और दो व्यक्तियों का साथ आना है। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें एक दंपत्ति के बीच विवाद है और उनके दो नाबालिग बच्चे भी हैं। बेंच ने कहा कि विवाह में पति-पत्नी का एक-दूसरे पर भावनात्मक और सामाजिक रूप से निर्भर रहना स्वाभाविक है। अदालत ने कहा कि कोई भी पति या पत्नी यह नहीं कह सकते कि मैं अपने जीवनसाथी पर निर्भर नहीं होना चाहता। यह असंभव है। शादी का अर्थ ही आपसी सहयोग और साथ है।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि छोटे बच्चों को टूटे हुए परिवार का बोझ क्यों झेलना पड़े। अदालत ने कहा कि अगर पति-पत्नी साथ आते हैं तो बच्चों के लिए यह सबसे अच्छा होगा। अदालत ने दोनों पक्षों से आपसी मतभेद दूर करने और बातचीत से हल निकालने की अपील की। पत्नी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, जिस पर बेंच ने जवाब दिया कि यह संदेश दोनों पक्षों के लिए है।

पति सिंगापुर में, पत्नी हैदराबाद में

पत्नी ने आरोप लगाया कि सिंगापुर में पति के व्यवहार के कारण उसके लिए वापस वहां लौटना मुश्किल है। उसने बताया कि वह बिना किसी आर्थिक मदद के बच्चों की परवरिश कर रही है। वहीं पति की ओर से कहा गया कि दोनों के पास सिंगापुर में अच्छी नौकरियां थीं लेकिन पत्नी बच्चों के साथ वापस जाने से इनकार कर रही है। अदालत ने पति को निर्देश दिया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए पांच लाख रुपये जमा करे।